# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

**अपील संख्या 15/2016, जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00049**

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी ग्राम सारसोंप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, राज0।

**अपी0**

**बनाम**

1. हीरालाल पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासी ग्राम सारसोंप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, राज0।
2. हेमराज पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी सारसोंप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, राज0।
3. प्रेम पुत्री मोहनलाल पत्नि भैरूलाल मीना निवासी परास्या तहसील अलीगढ जिला टोंक, राज0।
4. संती पुत्री मोहनलाल पत्नि भागचंद मीना निवासी बहनोली तहसील बोंली जिला सवाई माधोपुर, राज0।
5. कैलाशी पुत्री मोहनलाल पत्नि बलराम मीना निवासी झोपडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, राज0।
6. राजन्ती उर्फ राजबाई पुत्री मोहनलाल पत्नि रामस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम जगमूदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर, राज0।

**रेस्पो0**

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा मु0न0 39/13 निर्णय दिनांक 15.01.2016)

14.12.21

**उपस्थित अभिभषाक**

1. अपीलांट की ओर से श्री सुधीर कुमार जैन
2. रेस्पो0 की ओर से श्री अब्दुल बहाव

**निर्णय** **दिनांक 14.12.2021**

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से [illegible] धारा [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु0न0 39/2013 निर्णय दिनांक 15.01.2016 न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/अपी0 की ओर से

Scanned with CamScanner

एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सायलान/अपी0 ग्राम सारसोंप का स्थाई निवासी है। सायलान/अपी0 आंखो से बिल्कुल अंधा है। विवादित आराजीयात ख.नं. 1084 रकबा 3 बीघा 12 विस्वा में से 1/2 हिस्सा 01 बीघा 16 विस्वा, ख.नं. 1072/1075 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा के 1/2 हिस्सा 05 बीघा 16 विस्वा वाके ग्राम सारसोंप सायलान/अपी0 के कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसको सायलान/अपी0 ने सावित्री देवी ठिकाना बरवाडा से जरिए विक्रय पत्र खरीद की है तभी से ही सायलान/अपी0 उक्त विवादित आराजीयात पर काबिज चला आ रहा है। भू-प्रबंध विभाग ने उक्त आराजीयात के नये नम्बर 1084 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा के 284 रकबा 0.10 एवं 288 रकबा 0.35 है0 एवं साबिक खसरा नं. 1072/1075 रकबा 11 बीघा 13 विस्वा नये नम्बर 270 रकबा 1.46 है0 एवं 272 रकबा 1.46 है0 बनाये है। सायलान/अपी0 के कब्जे काश्त की आराजीयात जिसके नये नम्बरान 284/0.10 एवं 288/0.35 कुल रकबा 0.45 है0 को बिना किसी आधार के भू-प्रबंधक विभाग ने सिवायचक कर राजकीय खाते में दर्ज कर दी। खसरा नं. 272 रकबा 1.46 है0 सावित्री की थी वह सावित्री के ही खाते में दर्ज हो गई लेकिन सायलान/अपी0 के कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 270 रकबा 1.46 है0 साबिक नं. 1072/1075 रकबा 05 बीघा 16 विस्वा सायलान/अपी0 के खाते में दर्ज करने के बजाय सहवन से गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 06 के पिता मोहनलाल पुत्र जन्सी मीना निवासी सारसोंप के खाते में गलत दर्ज हो गई। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 06 के पिता मोहनलाल पुत्र जन्सी मीना निवासी ग्राम सारसोंप की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण भी गैरसायलान/रेस्पों. नं. 01 ल0 06 के तस्दीक होकर साबिक नं. 1072/1075 की भूमि जिसका नया नम्बर 270 रकबा 1.46 है0 गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 06 के खातेदारी में गलत तरीके से आ गई है। उक्त विवादित भूमि पर सायलान/अपी0 का सन् 1970 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। गैरसायलान/रेस्पों. का सायलान/अपी0 की उक्त विवादित भूमि से कोई सम्बंध नहीं है। गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 06 का उक्त विवादित भूमि पर कभी कब्जा भी नहीं रहा। सायलान/अपी0 की विवादित भूमि ख.नं. 284 व 288 की भूमि को गैरसायलान/रेस्पों. सं. 7 द्वारा सिवायचक दर्ज करने एवं सायलान/अपी0 के कब्जे काश्त की भूमि ख.नं. 270 को गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 06 [illegible] पि[illegible] एवं पिता के मरने के बाद गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 06 के [illegible] में गलत दर्ज होने का पता सायलान/अपी0 को तब [illegible] जब सायल[illegible]/अपी0 दिनांक 06.10.2013 को के0सी0सी0 बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास जमाबंदी लेने गया तब पटवारी हल्का ने बताया कि तुम्हारी जमीन तो गैरसायलान/रेस्पों. सं. 01 ल0 06 के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हो गई एवं 45 ऐयर भूमि सिवायचक दर्ज हो गई तब जाकर गैरसायलान/रेस्पों. को पता चला। गैरसायलान/रेस्पों. सायलान/अपी0 के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर के0सी0सी0 बनवाकर सायलान/अपी0 के कब्जे काश्त की भूमि को बैंक के रहन रखकर ऋण उठाने पर आमादा है। गैरसायलान/रेस्पों. ने पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर बैंक से लोन की फाईल भी लगा दी है। यदि गैरसायलान/रेस्पों. ने सायलान/अपी0 के कब्जे काश्त की उक्त भूमि को बैंक के रहन रख ऋण प्राप्त कर लिया व अन्य दीगर व्यक्ति के रहन वय कर दिया तो सायलान/अपी0 को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी सायलान/अपी0 को किसी भी तरह से क्षतिपूर्ति नहीं कर सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया है कि गैरसायलान/रेस्पों. को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे सायलान/अपी0 के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की उक्त विवादित भूमि में किसी तरह की मानेमजाहमत नहीं करे एवं सायलान/अपी0 की उक्त भूमि को किसी को रहन वय नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। सायलान/अपी0 का प्रार्थना पत्र खारिज होने से अपी0 के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0 द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होन पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.01.2016 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। ग्राम सारसोंप तहसील चौथ का बरवाडा में जागीरदार राजा मानसिंह की पुत्री सावित्री की खातेदारी में साविक खसरा नं. 1084 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा व खसरा नं. 1072, 1075 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा व कई अन्य खसरा नं. से जिसमें से खसरा नं. 03 बीघा 12 विस्वा का 1/2 हिस्सा व 1072, 1075 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा का 1/2 हिस्सा अपीलार्थी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.04.70 को खरीद की थी अर्थात ख.नं. 1084 का 1/2 हिस्सा 1 बीघा 16 विस्वा व ख.नं. 1072, 1075 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा का 1/2 हिस्सा 5 बीघा 16 विस्वा कुल 07 बीघा [illegible] विस्वा जमीन अपीलार्थी ने क्रय की थी तथा खरीद के दिन से ही इस भूमि पर काबिज [illegible]कर काश्त करता चला आ रहा है। इन्हीं खसरा नम्बरान में से 1/2 हिस्सा रेस्पों. 01 के पिता मोहनलाल ने भी खरीद किया था, उस 1/2 हिस्से पर वह काश्त करता था। उसकी मृत्यु के बाद रेस्पों. सं. 1 व 2 काश्त कर रहे है। साविक खसरा नं. 1084 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा के नवीन नम्बर सेटलमेंट विभाग ने 283 रकबा 0.45 है0 खसरा नं. 284 रकबा 0.10

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

है0 खसरा नं. 288 रकबा 0.35 है0 तथा साविक ख.नं. 1072, 1075 के नवीन ख.नं. 270 रकबा 1.46 है0 व ख.नं. 272 रकबा 1.46 है0 बनाये है। जिसमें खसरा नं. 284 व 288 जो अपीलार्थी के कब्जे में है को सिवायचक दर्ज कर दिया व खसरा नं. 270 रकबा 1.46 है0 को रेस्पों. के नाम दर्ज कर दिया है, जबकि यह खसरा नं. 1072 व 1075 का है और अपीलार्थी सन् 1970 से इस भूमि को लगातार काश्त कर रहा है। मोका रिपोर्ट दिनांक 13.04.2015 जिसको तहसीलदार ने दिनांक 12.05.2015 को उपजिला कलेक्टर को प्रेषित की है इसमें हल्का पटवारी ने गवाहान व अपीलार्थी की उपस्थिति में मोका देखा है और रिपोर्ट बनाई है जिसमें यह साफ व विस्तृत रूप से लिखा है कि मोके पर 284 व 288 तथा 270 पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना लिखा है तथा रेस्पों. का ख.नं. 272 पर कब्जा बताया है। जब खसरा नं. 270 रकबा 1.46 है0 पर अपीलार्थी का कब्जा था तो इसके संबंध में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस मोका रिपोर्ट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया। रेस्पों. द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 13.04.2015 का खंडन भी नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया केस अपीलार्थी के पक्ष में साबित होते हुये भी अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पों. को पाबंद नहीं किया तथा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय ने अहम भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

4. विद्वान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अपीलांट बहुत ही चालाक व्यक्ति है जो अपने अन्धेपन का फायदा उठाकर हम रेस्पों. की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर लट्ठ के जोर से कब्जा करना चाहता है जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। साविक खसरा नं. 1072/1075 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा, 1084 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 4 विस्वा सावित्री देवी पुत्री राव राजा मानसिंह जी राजपूत की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी जिसमें से हम रेस्पों. के पिता मोहनलाल पुत्र जंसी जाति मीना निवासी सारसोंप ने 1/2 भूमि 7 बीघा 12 विस्वा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक [illegible] को खरीद की ओर उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर [illegible] के नाम नामान्तकरण खुलकर खातेदारी प्राप्त हो गई तथा [illegible] जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने व उनकी मृत्यु के पश्चात् हम रेस्पों. उक्त विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मौके पर उक्त भूमि में मेड पडी हुई है। सेटलमेंट के दौरान हम रेस्पों. की साविक आराजी खसरा नं. 1084, 1072/1075 के नये खसरा नं. 270 रकबा 1.46 है0, 283 रकबा 0.45 है0 बनाये जाकर हम रेस्पों. की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अंकित की गई है। अपीलांट बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है जो हम रेस्पों. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 270 रकबा 1.46 है0 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। रेस्पों. के पिता मोहनलाल की खरीदशुदा आराजी वर्तमान खसरा नं. 270 रकबा 1.46 है0 व 283 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम सारसोंप से अपी0 या किसी अन्य का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है। उक्त भूमि रेस्पों. के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है लेकिन अपी0 गलत एवं निराधार तरीके से उक्त भूमि को हडपना चाहते है। जिसका उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अपी0 ने विवादित आराजीयात को सावित्री से खरीद करना कथन किया है। यदि अपी0 द्वारा कोई भूमि सावित्री से खरीद की थी तो उसने क्यों नहीं अपने नाम खातेदारी करवाई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपी0 ने कोई भूमि क्रय ही नहीं की है और वो जबरदस्ती हम रेस्पों. की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिसका कि उसको कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपील मीमो के मद सं. 6 में कथन किया है कि " अपीलार्थी की क्रयशुदा भूमि है इसके सम्बंध में कोई अभिमत नहीं दिया गया है तथा प्रार्थना पत्र खारिज करने का कोई भी कारण निर्णय में उल्लेखित नहीं किया है।" पक्षकारों के मध्य अधिनस्थ न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है जिसमें इनके हकों का निर्धारण साक्ष्य–सबूतों के आधार पर किया जाना शेष है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में अधिकारों के निर्धारण के संबंध किसी प्रकार का अभिमत प्रकट किया जाना न्याय संगत नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 वाके ग्राम सारसोंप, तहसील चौथ का बरवाडा के खाता सं. 1091 के अनुसार ख.नं. 270 हीरालाल पुत्र मोहनलाल, हेमराज पुत्र रामजीलाल, सन्ती, कैलाशी, राजन्ती पुत्रियान मोहन अंकित है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2016 पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात किया गया है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः [illegible]

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के मु.नं. [illegible]/2013 निर्णय दिनांक 15.01.2016 को यथावत रखा जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.12.21

( बी0एल0रमण )
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:59:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner